कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा अग्निशमन अधिकारी

कमांक :- 5001/NP

दिनाक :- 9/1/2020

प्रेषितः–

सेंट एंसलम स्कूल,

सांभर रोड फुलेरा

विषय :– अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत

प्रसंगः– सेंट एंसलम स्कूल, सांभर रोड फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

उपरोक्त विषय में लेख हे कि सेंट एंसलम स्कूल,सांभर रोड फुलेरा ने दिनांक ....15..12...2019.. ...को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा न. 1950,1951 आंशिक(भूखण्ड सं. बी) सॉभर रोड फुलेरा में सेंट एंसलम स्कूल, की इमारत का संलग्न नक्शे के अनुसार अग्निशमन की दृष्टि से उन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र. दिया जाए। इस मे मौका निरिक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिंशषा की जाती हे

1. भवन/इमारत में फायर हाइडेण्ट, वेट–राइजर सिस्टम मय होज रीज होज–पाइप आदि, आपातकालीन बचाव की सीढियॉं, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिलर्व वाटर टैक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होगें।
2. भवन/इमारत के चारो ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पॅहुच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियामानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
3. भवन की अधिकतम ऊचाई 16 मीटर से अधिक स्वीकृत नही की जावे।
4. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुचाने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिग कोड ऑफ इण्डिया क अनुरूप न्यूनतम 20 फुट खली स्थान(गलीयारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछालन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।

N.P.P 1350

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका फुलेरा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा अग्निशमन अधिकारी

5. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँच इसके लिये स्वाचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
6. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
7. फायर प्रिवेन्शन ,फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवसथा की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होन्रे के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नही करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिंशषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियामानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भवन मे धुआ निकासी के लिये नेशनल बिल्डीग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन. बी. सी. के अनुरूप रिफयूजी ऐरिया छोडना होगा।
9. आवेदक को फायर शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अग्निशमन अभिंशषा निरस्त कर दी जावेगी।

भवन/इमारत मे स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होगे एचं कार्यरत कर्मचारियो को अग्निशमन यंत्र./उपकरणो को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवशयक हेागा। यह अस्थाई अभिशषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नही होता ह तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण करवाकर अग्निशन अभिशषा पत्र की अवधि बढवानी होगी व अस्थाई अभिशंषा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अग्निशमन अभिशषा पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानो में त्रृटि/ कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका फुलेरा

N.P.P 1350